



॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन.प्रभाग, गोपेश्वर ॥

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांक: 5806

/ 12-1

दिनांक, गोपेश्वर, जून 28 /2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से रुईसाण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का वन भूमिअ हस्तान्तरण। प्रस्ताव सं0 FK/UK/Road/146251/2021.

संदर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0 218/12-1 दिनांक 23.07.2024.(संलग्न)

महोदय,

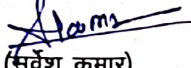
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में चार बिन्दु की सूचना मांगी गयी है जो निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा चाही गयी सूचना	आख्या
1.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की पत्र सं0 एफ0सी0-11/43/2021-एफ0सी0 दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है:-	वन्यजीव प्रबन्धन योजना एवं भूमि व जल संरक्षण योजना संलग्न कर ऑनलाईन पार्ट 11 में भी अपलोड की जा चुकी है। (संलग्न-1)
(a)	In respect of linear projects the stipulated norms of 2% and 0.5 towards the cost of wildlife management plan and soil and moisture conservation plan as provided in the Ministry's guideline date 08.06.2022 will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charge from the user agency.	
(b)	The Provisions of wildlife Management plan or Soil Moisture Conservation plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited into the CAMPA account.	
2.	प्रस्ताव में अत्यधिक बांज वृक्षों का पातन निहित है बांज वृक्षों के पातन को न्यूनतम तक सीमित किया जाय तथा वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातनसे सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।	महोदय उक्त बिन्दु आपसे सम्बन्धित है।
3.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Report Form-A Part II के अतिरिक्त सूचना में अपलोड की जानी अपेक्षित है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Report Form-A Part II अपलोड की गयी है।
4.	मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Mycorrhizae (VaM) और पौधों की जड़ों के साथ साझादारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जायेगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।	मलवा निस्तारण स्थलों में वृक्षारोपण करते समय उक्त दिये गये सुझावों का अनुपालन किया जायेगा, की प्रमाण संलग्न की जा रही है। (संलग्न-2)

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,


(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।





